

संख्या: 1-9/ गृह पत्रिका/ हिन्दी-एनएससी

दिनांक 20 मार्च, 2015माच

निविदा आमंत्रण सूचना

विषय: निगम की छमाही "बीज पत्रिका" के प्रकाशन हेतु- निविदा के संबंध में।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की छमाही "बीज पत्रिका" के प्रकाशन हेतु समसंख्यक पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2015 के द्वारा सीमित निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, जिनके प्राप्त होने की अंतिम तिथि 13 मार्च, 2015 थी, किन्हीं प्रशासनिक कारणों की वजह से अब यह तिथि 10 अप्रैल, 2015 तक बढ़ा दी गई है। अतः इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि संलग्न शर्तों व नियमों के अनुसार अपनी निविदायें 10 अप्रैल, 2015 अपराह्न 02.00 बजे तक जमा करा सकते हैं जिन्हें उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे खोला जायेगा। निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें संलग्न है तथा इन्हें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्व में प्राप्त निविदाओं को भी शामिल किया जायेगा।

48 पृष्ठों की छमाही राजभाषा पत्रिका की 2000 प्रतियाँ छपवाने हेतु डिजाईनिंग सहित निम्न प्रकार के पृष्ठों के लिए कोटेशन भिजवाने का श्रम करें, जो दो वर्ष के लिए मान्य होंगी अर्थात चार छमाही अंकों के लिए यथावत् रहेंगी।

1. 'बीज पत्रिका' की 48 पृष्ठों की 2000 प्रतियों के लिए

दर प्रति पत्रिका

क. आवरण लेमिनेशन (केवल बाहरी सतह पर) सहि
170gsm (4) बहुरंगी आर्ट पेपर की छपाई,
4 पृष्ठ 100 gsm आर्ट पेपर पर बहुरंगी छपाई
और 40 पृष्ठ दो रंगों में हेतु

ख. आवरण पृष्ठ लेमिनेशन सहित 170gsm (4)
बहुरंगी आर्ट पेपर की छपाई,
44 पृष्ठ 100gsm आर्ट पेपर पर बहुरंगी छपाई हेतु

ग. पत्रिका का आकार "11"X"8.1/2" होगा।

2. क. 100gsm आर्ट पेपर पर 4 दोरंगी पृष्ठों की संख्या बढ़ाने/घटाने पर
ख. 100gsm आर्ट पेपर पर 4 बहुरंगी पृष्ठों की संख्या बढ़ाने/घटाने पर

निविदा के साथ रु. 2500/- की धरोहर राशि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पक्ष में देय ड्राफ्ट के रूप में अवश्य संलग्न करनी होगी।

निगम किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

भवतः ,

(दीपिका रानी)
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

निगम की पत्रिका "बीज पत्रिका" की प्रकाशन हेतु नियम व शर्तें:

1. निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री के प्रकाशन के संबंध में निम्नलिखित संबंधित सेवाएं प्रदान करनी ह :-
 - (i) सामग्री का पत्रकारिता स्वरूप में उत्तम प्रस्तुतीकरण।
 - (ii) अनुमोदित मूल मसौदे की प्रूफ रीडिंग।
 - (iii) पत्रिका में शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषयों के डिजाइनों के आकर्षक खाके (लेआउट)
 - (iv) छमाही आधार पर दो वर्षों तक अर्थात चार छमाहियों के लिए आरंभ में निर्धारित दरों पर छपाई।
 - (V) 48 पृष्ठों के अतिरिक्त पृष्ठों को घटाने या बढ़ाने का भुगतान अलग से दी गई कोटेशनस के आधार पर किया जाएगा। जिसमें आकर्षक टाईपिंग, डिजाइनिंग, प्रकाशन व उपलब्ध करवाई गई सामग्री को उत्तम रूप देना शामिल होगा।
 - (vi) आवश्यकतानुसार छपवाई जाने वाली प्रतियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
 - (vii) पत्रिका की भाषा मूलतः हिन्दी रहेगी।
2. पत्रिका की छपाई बहुरंगी व दो रंगों में तथा दिखाए गए सैम्पल के अनुसार होगी।
(पत्रिका में प्रयोग किए जाने वाले कागज का सैम्पल निविदा के साथ अवश्य संलग्न करें।)
3. सारी छपी हुई पत्रिकाओं की सप्लाई अंतिम प्रूफ रीडिंग करने के 10 दिन के अंदर करनी होगी। प्रूफ रीडिंग का दायित्व फर्म/कंपनी का होगा तथा पत्रिका का प्रकाशन, निगम द्वारा अंतिम प्रूफ को अनुमोदित करने के उपरान्त किया जाएगा।
4. निश्चित तिथि के पश्चात पत्रिकाओं की आपूर्ति करने पर 5% प्रति सप्ताह के हिसाब से दण्ड का भुगतान करना होगा। पत्रिकाओं की छपी हुई प्रतियाँ तथा साफ्ट कॉपी प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।
5. पत्रिका की छपाई के लिए पार्टी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. पार्टी द्वारा पहले विभिन्न संस्थाओं के लिए छपी गई पत्रिकाओं आदि का अनुभव भी उल्लिखित किया जाना अनिवार्य है।
7. पत्रिकाओं का निगम मुख्यालय, नई दिल्ली पर भिजवाना होगा जिसका खर्च पार्टी/फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
8. यदि कार्य का आदेश देने के पश्चात कार्य नहीं किया तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. पत्रिका का प्रकाशन उपर्युक्त नियम व शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
10. प्रतियों की दी गई संख्या के अनुसार बण्डल में निगम के विभिन्न कार्यालयों पर सप्लाई करनी होगी जिसका डाक खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
11. निगम व पार्टी की पारस्परिक सहमति से निविदा को 02 वर्ष के पश्चात एक या दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
12. पत्रिका में पाठकों की रुचि तथा आवश्यकतानुसार विज्ञापन भी छापे जा सकते हैं।

